☎ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

7/23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100) लखनऊ–226010
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 415/01/29/HFA-13/2018–19 दिनांकः– 03 मई, 2018

आवश्यक/महत्वपूर्ण

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0परि0 अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक–1776/01/29/एचएफए–10/2017–18 दिनांक 10 अगस्त, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के अनुसार ग्राउण्डिंग से पूर्व डूडा द्वारा लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में अभी तक कुल 75 जनपदों की 999 परियोजनाओं में 3,31,513 आवासों की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी थी। भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2018 को 33वीं सीएसएमसी की बैठक में 176 नगर निकायों में 28,872 आवासों की डी0पी0आर0 और स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार अब तक 75 जनपदों की 1175 परियोजनाओं में कुल 3,60,385 आवासों की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है, जिनकी सूची सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर उपलब्ध है। उक्त आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किया जाना है। तत्पश्चात् लाभार्थी से रु0 10/– के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लिया जाना है, जिनका प्रारूप भी सूडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु चयनित कन्सलटेन्ट के सहयोग से लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. श्री योगेश आदित्य, सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ।
2. समस्त डीपीआर प्रिपिरेशन एवं पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक